प्रकरण संख्या 2/2021 (वि.) गेबला व अन्य बनाम बनवारी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहस निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 18.08.2017 को खारिज कर दी गयी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थीगण को नहीं थी। मार्च 2021 में रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण ने वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो प्रार्थीगण ने उन्हें रोका एवं कहा कि अभी तो प्रकरण लम्बित है एवं मौके पर यथास्थिति के आदेश हैं। इस पर विपक्षीगण ने कहा कि हम केस जीत गये हैं। इस पर अपीलान्ट ने न्यायालय में जाकर दिनांक 24.03.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत हुई, जिसकी नकल दिनांक 30.03.2021 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमाई जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र लगभग 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं विलम्ब के लिए जो कारण अपीलान्ट ने बताये हैं वह न उचित हैं, न ही विलम्ब के पर्याप्त कारण हैं। अतः प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज किया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2021 को प्रस्तुत किया है, जो करीब 3½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इसमें जो कारण उनके द्वारा बताये गये हैं वह न तो उचित कारण प्रतीत होते हैं एवं न ही इतने अधिक विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण का बाजदायरी प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनीता मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:40 IST
Reason: SelfAttested